रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1982/फाल्गुन 15, 1903
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1982/PHALGUNA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-10-ईटीसी(पीएन)/82

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1982

विषय:—1981-82 के दौरान पशु और कुक्कुट आदि के मिश्रित चारे का निर्यात।

मिसिल संख्या—38(12)/82-ई-2:—1981-82 के लिए निर्यात नीति की नीति विवरण पृष्ठ सं० 15 पर क्रम सं० 41(3) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिस के अनुसार पशु और कुक्कुट आदि के मिश्रित चारे का निर्यात पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सीमित उच्चतम सीमा के भीतर अनुमेय है।

2. यह निश्चय किया गया है कि चालू लाइसेंस वर्ष 1981-82 के लिए पशु और कुक्कुट आदि के चारे के निर्यात के लिए उच्चतम सीमा रिहा की जाए। सम्पूर्ण उच्चतम सीमा संयुक्त

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई के निपटान के लिए रख दी गई है जो पार्टियों द्वारा 100% पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्रों या प्राप्त अग्रिम भुगतान के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर निर्यात की अनुमति देगा।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 10-ETC(PN)/82

New Delhi, the 6th March, 1982

Subject.—Export of Compound Cattle and Poultry Feeds during 1981-82.

File No. 38(12)/82-EII.—Attention is invited to S. No. 41(iii) at page 15 of the Policy Statement of Export Policy Book, 1981-82 according to which export of Compound Cattle and Poultry Feed is allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

2. It has been decided to release a ceiling for export of Compound Cattle and Poultry Feeds for the current licensing year 1981-82. The entire ceiling has been placed at the disposal of Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, who will allow export on first-come, first-served basis against 100% confirmed irrevocable Letters of Credit or advance payment received by the parties.

C. VENKATARAMAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982